प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/3/26	वकील वादी उप०। बहस अमन पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 12/3/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
12/3/26	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। दावा वादी का डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
210/दावा/2024	23.10.2024	12.03.2026

1. निखिलेश सेठी आयु 61 वर्ष पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी जाति महाजन निवासी कैलाश भवन आर्य समाज रोड कोटा राज0
2. श्रीमती पदमा सेठी आयु 81 वर्ष विधवा पि स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी जाति महाजन निवासी कैलाश भवन आर्य समाज रोड कोटा राज0
3. अनुराधा रायजादा आयु 55 वर्ष पुत्री स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी पत्नि श्री काव्य रायजादा निवासी डी- 40,एन डी एस इ साउथ एक्सटेन्शन पार्ट 2, एन्ड्रज गंज साउथ दिल्ली ।
4. प्रियंका गुप्ता आयु 57 वर्ष पुत्री स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी पत्नि स्व0 श्री देवव्रत गुप्ता निवासी 8/2-सी अलीपुर पाप रोड कोलकता पश्चिमी बंगाल ।

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए

1. जिला कलक्टर महोदय, बून्दी राज0
2. तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादीगण :- श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता प्रतिवादी :-

- : : निर्णय : : -

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट

वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या 210 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1151/2 रकवा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1404/568 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1421/590 रकवा 0.1538 हैक्टेयर खसरा संख्या 1423/594 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1441/655 रकवा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1443/669 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1458/693 रकवा 0.5827 हैक्टेयर, खसरा संख्या 165 रकबा 0.5018 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 166 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 190 रकबा 0.3237 हैक्टेयर खसरा संख्या 23/968 रकबा 0.0324 हैक्टेयर खसरा संख्या 232 रकबा 0.1295 हैक्टेयर , खसरा संख्या 251/967 रकबा 0.0324 हैक्टेयर खसरा संख्या 346 रकबा 0.0890 हैक्टेयर खसरा सख्या 408 रकबा 0.0971 हैक्टेयर खसरा सख्या 416 रकबा 2.1367 हैक्टेयर, खसरा सख्या 422 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा सख्या 432 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा सख्या 434 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा सख्या 435 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 436 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा सख्या 437 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा संख्या 439 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा सख्या 443 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 448 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 456 रकबा 0.9227 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 1.5540 हैक्टेयर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 462 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सख्या 464 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 514 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खरसरा संख्या 517/1090 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 527 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 549 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 550 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खंसरा संख्या 551 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, खसरा सख्या 552 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा सख्या 554/1020 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 555 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, खसरा संख्या 577 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 578 रकबा 0.2266 हैक्टेयर खसरा संख्या 579 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा सख्या 580 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 581

बा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 588 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा संख्या 591 रकबा 0.162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 598/1019 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा सख्या 602 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 603 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 638/1017 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 646 रकबा 0.4775 हैक्टेयर, खसरा संख्या 653 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 654 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सख्या 661 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा सख्या 662 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 678 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 728 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 729 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 782 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 792 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा सख्या 793 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा सख्या 794 रकबा 0.02995 हैक्टेयर, खसरा संख्या 819 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 839/1022 रकबा 0.0081 हैक्टर, खसरा संख्या 87 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा सख्या 09 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 925/1018 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 933 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संरख्या 934 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 935 रकब 0.6961 हैक्टेयर, खसरा सख्या 936 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 955/15 रकबा 0.1376 हैक्टेयर कुल खसरे 75 कुल रकबा 18.0086 हैक्टेयर वाके ग्राम अल्फानगर पटवार हल्का अल्फानगर भु0अभिलेख0निरीक्षक क्षेत्र बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि सेठ विनोदी राम बालचन्द के खाते में दर्ज है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार बृजनारायण वल्द बाबू राजनारायण जी ब्रहम्मवत सा0अजमेर थे श्री बृजनारायण जी ने उपरोक्त कृषि भूमि को सेठ बिनोदीराम बालचन्द मालिक सेठ नेमीचन्द जी सेठी को दिनांक 02-07-1946 को पंजिकृत विक्रय पत्र द्वारा बैचान कर दिया था तभी से उक्त कृषि भूमि पर सेठ नेमीचन्द जी सेठी मालिक सेठ बिनोदीराम बालचन्द बतौर खातेदार निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है। श्री नेमीचन्द जी का देहान्त दिनांक 01-05-1973 को हो गया नेमीचन्द जी के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि वादीगण के पिता/पति श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी बतौर खातेदार निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे तथा श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी का देहान्त दिनांक 01-03-2024 को हो गया उसके पश्चात से वादीगण बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेखो में सेठ बिनोदीराम बालचन्द के खातेदारी में चली आ रही है उक्त भूमि में कुछ भूमि काबिज काश्त व गै0मु0बनी हुयी है जिनमें ईमारते कुए व बाग वगैरा बने हुये है। फर्म सेठ बिनोदीराम बालचन्द का विघटन हो चुका है उक्त फर्म के मालिक सेठ नेमीचन्द जी थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र सुरेन्द्र कुमार सेठी हुये तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त भुमि के वैधानिक खातेदार आसामी बन गये और उसी अबुरूप उसी भूमि पर काबिज चले आ रहे है। नेमीचन्द जी के चार पुत्र प्रथम नरेन्द्र कुमार सेठी जिनकी मृत्यु सन 1988 में हो चुकी है और इनकी विधवा किरण सेठी व पुत्र-पुत्री क्रमशः मधुमिलिन्द मनोज व मिशेल हुये जिन्होने अमरीका की नागरिकता ग्रहण कर ली है और वही पर निवास कर रहे है। और उन्होने फर्म से अपना हिस्सा ले लिया था अब उक्त भूमि में उनका कोई हिस्सा नहीं है। द्वितीय पुत्र ललित कुमार सेठी जिनकी लाऔलाद मृत्यु सन् 2007 में हो चुकी है उनके कोई वारिसान नहीं है वह भी अपना हिस्सा ले चुके थे, तृतीय पुत्र सुरेन्द्र कुमार सेठी हुए जो उक्त भूमि पर काबिज हुये उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण भूमि पर काबिज हुए,चतुर्थ पुत्र नरेश सेठी जिनकी मृत्यु सन 1985 में हो चुकी है उनकी पुत्री लीना है जिसने भी फर्म से अपना हिस्सा ले लिया था। उक्त भूमि में से गै0मु0 भूमि ,ईमारते, कुए, बाग वगैराह को कई दीगर व्यक्तियो को अन्तरित कर चुके है उक्त कृषि भूमि में से खसरा संख्या 232 रकबा 0.1295 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 346 रकबा 0.0890 हैक्टेयर , खसरा सख्या 408 रकबा 0.0971 हैक्टेयर खसरा संख्या 416 रकबा 2.1367 हैक्टेयर, खसरा संख्या 422 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 431 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 435 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 436 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा सख्या 437 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा सख्या 439 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 443 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 448 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 456 रकबा 0.9227 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 1.5540 हैक्टेयर, खसरा सख्या 460 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा सख्या 462 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सख्या 464 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 839/1022 रकबा 0.0081 हैक्टेयर , खसरा संख्या 87 रकबा 0.1700 हैक्टेयर,खसरा संख्या 933 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सख्या 934 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 935 रकबा 0.6961 हैक्टेयर, खसरा संख्या 936 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, एव कुल खसरे 27 कुल रकबा 10.3926 हैक्टेयर भूमि ही वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ

है। राजस्व अभिलेखो में सेठ बिनोदीराम बालचन्द का नाम अंकित होने से वादीगणो के हको पर ...ोप पहुंचता है तथा उक्त भूमि को वह विकसित भी नही कर पा रहे है तथा न ही अन्तरित कर पा रहे है। वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि के वैधानिक खातेदार आसामी है फिर भी अभी तक राजस्व अभिलेखो में सेठ बिनोदीराम बालचन्द का नाम अंकित चला आ रहा है। वादीगण के पिता श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी ने दिनांक 15-2-2024 को प्रतिवादीगण को नोटिस भेजकर उनका नाम खातेदार के स्थान पर अंकित करने हेतु भेजा किन्तु नोटिस की समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही दिनांक 1-3-2024 को उनका देहान्त हो गया। राजस्थान राज्य को नोटिस दिनांक 15-2-2024 प्राप्त हो चुका है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वाद पत्र की चरण संख्या 6 में अंकित भूमि को राजस्व अभिलेखो में अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाकर अपने खातेदारी में अंकित करवाये एवं सेठ बिनोदीराम बालचन्द का दर्ज गलत इन्द्राज के नाम को विलोपित करवाये। वाद कारण प्रतिवादी को अधिसूचना दिनांक 15-2-2024 प्राप्त हो जाने पर उसकी अवधि दिनांक 20-4-2024 को गुजरने के पश्चात लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में विधिवत आज्ञप्ति जारी कर वाद पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि खसरे 27 कुल रकबा 10.3926 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखो में उनका नाम खातेदार के स्थान पर अंकित किये जाने एंव सेठ बिनोदीराम बालचन्द का नाम विलोपित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1411 दिनांक 30.04.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम अल्फानगर में वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार खाता सं. 210 किता 75 कुल रकबा 18.0086 हैक्टे. भूमि सेठ बिनोदीराम बालचन्द जाति महाजन सा. झालरापाटन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है दावा व पटवारी रिपोर्ट में वर्णित खसरा नम्बरान् किता 27 रकबा 10. 3929 हैक्टे. भूमि पर निखिलेश सेठी आ० सुरेन्द्र कुमार सेठी, अनुराधा, प्रियंका पुत्रियॉं सुरेन्द्र कुमार सेठी, पदमा पत्नी सुरेन्द्र कुमार सेठी का कब्जा काश्त है उक्त खसरा नम्बरान् पर मौके पर कोई विवाद नही है।

पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि वादीगण द्वारा मृतक खातेदार की एक अपंजीकृत वसीयत प्रस्तुत की है वसीयत का लेखन साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नही माना जा सकता। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में भूमि का वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मृतक खातेदार के नाम अंकित होना एवं वसीयत में दर्ज भूमि पर वादीगण का कब्जा दर्शाया गया है एवं उक्त भूमि पर मौके पर कोई विवाद नही बताया है, किन्तु जांच रिपोर्ट में वसीयत के विधिक निष्पादन अथवा उत्तराधिकार का कोई प्रमाण स्थापित नही किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियो में वसीयत की वैधता का परीक्षण समस्त आवश्यक साक्ष्यो ,गवाहो एवं सम्बन्धित पक्षकारो के बयान के किये जाने के उपरान्त ही अन्तिम निर्णय लिया जाना उचित होगा। उक्त आदेश अन्य सम्भावित पक्षकारो/वारिसानो के विधिक अधिकारो के अधीन रहेगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सम्बन्धित पक्षकार विधि अनुसार उचित मंच के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सके।

प्रकरण में जवाब सरकार प्रस्तुत होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी से काबिज काश्त 27 खसरो पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

वादीगण

2. आया वादी वसीयत रजिस्टर्ड नही होने से खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी

3. अनुतोष।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में वादी निखिलेश सेठी आ0 स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी , पदमा सेठी विधवा स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, गवाह आदित्य सेठी आ0 श्री निखिलेश सेठी निवासी कोटा, मांगीलाल आ0 मडया गुर्जर नि0 जाल की झोपडिया एवं देवकीनन्दन पारीक आ0 श्री बद्रीनारायण जी पारीक कोटा के शपथ पत्र पेश किये गये। साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात् जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत् 2076 ग्राम अल्फानगर खाता सं0 210 प्रदर्श -1, वादग्रस्त आराजी बृजनारायण से सेठ नेमीचन्द जी सेठी ने फर्म बिनोदीराम बालचन्द ने दिनांक 2.7.1946 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-2 , नेमीचन्द जी का मृत्युप्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि

-3, सुरेन्द्र कुमार सेठी का वसीयत नामा दिनांक 20.7.2016 प्रदर्श -5 , वसीयत नामे पर श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी के 3 स्थान पर हस्ताक्षर A to B है , गवाह आदित्य सेठी के दो स्थान पर हस्ताक्षर C to D है, गवाह मांगीलाल के दो स्थान पर हस्ताक्षर E to F है, वसीयत को लिखने वाले श्री देवकीनन्दन जी थे जिनके वसीयत पर हस्ताक्षर G to H है, धारा 80 CPC का नोटिस प्रदर्श -6 , एवं डाक खाने की रसीद प्रदर्श-7 है।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर संक्षिप्त में निवेदन करते हुए कहा कि वाद वर्णित आराजी खाता सं0 210 की कुल खसरा 75 का कुल रकबा 18.0086 में से कृषि भूमि खसरा संख्या 232 रकबा 0.1295 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 346 रकबा 0.0890 हैक्टेयर , खसरा सख्या 408 रकबा 0.0971 हैक्टेयर खसरा संख्या 416 रकबा 2.1367 हैक्टेयर, खसरा संख्या 422 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 431 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 435 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 436 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा सख्या 437 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा सख्या 439 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 443 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 448 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 456 रकबा 0.9227 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 1.5540 हैक्टेयर, खसरा सख्या 460 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा सख्या 462 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सख्या 464 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 839/1022 रकबा 0.0081 हैक्टेयर , खसरा संख्या 87 रकबा 0.1700 हैक्टेयर,खसरा संख्या 933 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सख्या 934 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 935 रकवा 0. 6961 हैक्टेयर, खसरा संख्या 936 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, एव कुल खसरे 27 कुल रकबा 10.3926 हैक्टेयर भूमि ही वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है राजस्व अभिलेखो में सेठ बिनोदीराम बालचन्द का नाम अंकित होने से वादीगणो के हको पर आक्षेप पहुंचता है तथा उक्त भूमि को वह विकसित भी नहीं कर पा रहे है, कुल 75 खसरो में से 27 खसरो की 10.3926 हैक्टेयर भूमि ही वादीगण के कब्जे काश्त में है एवं वादीगण के पति व पति द्वारा उक्त वाद वर्णित आराजी में कब्जे काश्त की भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी द्वारा कर दी गई थी। साथ ही तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी वादीगण का निर्बाध कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार की ताकीद की जाती है। श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी द्वारा उक्त वसीयत अपनी अन्तिम इच्छा के रूप में निष्पादित की गई थी जो वक्त मौका काम आवे । वादीगण का पारिवारिक सेटलमेन्ट में किसी भी परिवार के सदस्य को कभी किसी प्रकार का आपस में विवाद नही रहा है एवं सभी पारिवारिक सदस्य अपनी अपनी सम्पति का उपयोग उपभोग एवं कार्य को शान्तिपूर्वक निर्वहन कर रहे है। वक्त लिखावट वसीयतनामा श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी जी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब था, इस कारण उक्त उनके द्वारा निष्पादित की गई थी किन्तु परिवार में सौहार्दपूर्ण रिश्ते होने से तत्समय वसीयत को गम्भीरता से नही लेते हुए उक्त वसीयत बाद लिखावट सुरक्षित रख दी गई। जिस पर ध्यान नही होने से दावा पेश करते वक्त उक्त वसीयत संलग्न नही की गई। अन्तिम इच्छा पत्र को रजिस्टर्ड करवाया जाना आवश्यक नही माना गया है। सादा कागज पर लिखा गया अन्तिम इच्छा पत्र भी मान्य है।

बहस उभय पक्ष पर मनन करने के पश्चात पत्रावली पर कायम विवाद्यक का विवेचन किया गया जो निम्नानुसार है -

1. **आया वादी वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी से काबिज काश्त 27 खसरो पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।**

   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत् 2076 ग्राम अल्फानगर खाता सं0 210 प्रदर्श -1, वादग्रस्त आराजी बृजनारायण से सेठ नेमीचन्द जी सेठी ने फर्म बिनोदीराम बालचन्द ने दिनांक 2.7. 1946 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-2 , नेमीचन्द जी का मृत्युप्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-3, सुरेन्द्र कुमार सेठी का वसीयत नामा दिनांक 20.7.2016 प्रदर्श -5 पेश किये गये एवं प्रदर्श -5 वसीयत नामा को प्रमाणित करने हेतु वसीयतनामा के गवाह आदित्य सेठी, मांगीलाल एवं वसीयत नामा को लिखे जाने वाले देवकीनन्दन पारीक के बयान लेखबद्व करवाये गये जो उक्त वसीयतनामा को प्रमाणित करते है, तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी खाता सं0 खाता सं0 210 की कुल खसरा 75 का कुल रकबा 18.

0086 में से कृषि भूमि खसरा संख्या 232 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा संख्या 346 रकबा 0.0890 हैक्टेयर , खसरा सख्या 408 रकबा 0.0971 हैक्टेयर खसरा संख्या 416 रकबा 2.1367 हैक्टेयर, खसरा संख्या 422 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 431 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 435 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 436 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा सख्या 437 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा सख्या 439 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 443 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 448 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 456 रकबा 0.9227 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 1.5540 हैक्टेयर, खसरा सख्या 460 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा सख्या 462 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सख्या 464 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 839/1022 रकबा 0.0081 हैक्टेयर , खसरा संख्या 87 रकबा 0.1700 हैक्टेयर,खसरा संख्या 933 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सख्या 934 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 935 रकबा 0.6961 हैक्टेयर, खसरा संख्या 936 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल खसरे 27 कुल रकबा 10.3926 हैक्टेयर पर वादीगण का ही कब्जा काश्त होना अंकित किया है साथ ही उक्त वाद वर्णित आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद खातेदारान् के मध्य नही होना बताया गया। जो वादीगण का वाद वर्णित आराजी में उक्त 27 खसरो की 10.3926 हेक्टेयर पर निर्बाध कब्जा काश्त होना एवं खातेदारी अधिकारो को प्रमाणित करता है। पूर्व खातेदार द्वारा वादीगण के पक्ष में की गइ वसीयत भी उक्त भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारो को प्रमाणित करती है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

2. **आया वादी वसीयत रजिस्टर्ड नही होने से खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नही है।**
इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद में पेश वसीयतनामा के अनरजिर्स्टड होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो को नही मानने का आक्षेप किया गया था। वादीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी बाबत पेश वसीयतनामा की प्रमाणिकता हेतु वसीयत करते वक्त वसीयत में अंकित गवाहन एवं लिखावटकर्ता के बयान करवाये गये जिन्होने स्वयं वसीयतकर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी द्वारा वसीयतग्रहिता के पक्ष में वसीयत किया जाना स्वीकार किया है साथ ही वसीयत में अंकित आराजी का अवलोकन करने एवं तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट का अंकन करने पर दोनो में वादीगण के कब्जे काश्त की समानता उक्त वसीयत की प्रमाणिकता को सिद्व करती है। उक्त वसीयत अथवा वाद वर्णित आराजी बाबत किसी अन्य द्वारा कोई वाद विवाद नही किया है ना ही उक्त आराजी पर कोई विवाद है, विवाद नही होने की सत्यता तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट से प्रमाणित है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

3. **अनुतोष** – पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने , बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं वाद पत्र में कायम तनकियो का विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी पर वादीगण के पूर्वज द्वारा कय की गई एवं तत्समय से ही वंशानुगत काबिज काश्त चली आ रही है उक्त 18.0065 हेक्टेयर भूमि में से वर्तमान में काबिज काश्त 10.3926 हेक्टेयर भूमि श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी के कब्जे काश्त में चली आ रही एवं श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी द्वारा उक्त आराजी 75 खसरो में से 27 खसरो की 10.3926 हैक्टेयर भूमि जो कि वादीगण एवं वादीगण के पिता श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी के कब्जे काश्त में निर्विवाद चली आ रही थी, की वसीयत/अन्तिम इच्छा पत्र वादीगण के पक्ष में किया गया। तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट में भी वाद वर्णित 27 खसरो की 10.3926 हेक्टेयर भूमि पर काबिज काश्त होना प्रमाणित है। उक्त आदेश अन्य सम्भावित पक्षकारो/वारिसानो के विधिक अधिकारो के अधीन रहेगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सम्बन्धित पक्षकार विधि अनुसार उचित मंच के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सके। अतः वाद वादी डिकी किया जाकर वादीगण को वाद वर्णित आराजी खाता सं0 210 की भूमियाँ जिसके कुल खसरे 75 कुल रकबा 18.0065 हेक्टेयर में से वादीगण के कब्जेकाश्त की आराजी खसरा संख्या 232 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा संख्या 346 रकबा 0.0890 हैक्टेयर , खसरा सख्या 408 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 416 रकबा 2.1367 हैक्टेयर, खसरा संख्या 422 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 431 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 435 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 436 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा सख्या 437 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा सख्या 439 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 443 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.0486 हैक्टेयर,

खसरा संख्या 448 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 456 रकबा 0.9227 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 1.5540 हैक्टेयर, खसरा सख्या 460 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा सख्या 462 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सख्या 464 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 839/1022 रकबा 0.0081 हैक्टेयर , खसरा संख्या 87 रकबा 0.1700 हैक्टेयर,खसरा संख्या 933 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सख्या 934 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 935 रकबा 0.6961 हैक्टेयर, खसरा संख्या 936 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल खसरे 27 रकबा 10. 3926 हेक्टेयर वाके ग्राम अल्फानगर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक से वादीगण के खाते दर्ज रेकार्ड किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास मनस्वी नरेश , आर0ए0एस0

1. निखिलेश सेठी आयु 61 वर्ष पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी जाति महाजन निवासी कैलाश भवन आर्य समाज रोड कोटा राज0
2. श्रीमती पदमा सेठी आयु 81. वर्ष विधवा पि स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी जाति महाजन निवासी कैलाश भवन आर्य समाज रोड कोटा राज0
3. अनुराधा रायजादा आयु 55 वर्ष पुत्री स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी पत्नि श्री कान्त रायजादा निवासी डी-40,एन डी एस इ साउथ एक्सटेन्शन पार्ट 2, एन्ड्रज गंज साउथ दिल्ली ।
4. प्रियंका गुप्ता आयु 57 वर्ष पुत्री स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी पत्नि स्व0 श्री देवव्रत गुप्ता निवासी 8/2-सी अलीपूर पाप रोड कोलकता पश्चिमी बंगाल ।

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए

1. जिला कलक्टर महोदय, बून्दी राज0
2. तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

<u>अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट</u>

218/दावा/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री विनय कुमार सक्सेना एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिव मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर वादीगण को वाद वर्णित आराजी खाता सं0 210 की भूमियॉ जिसके कुल खसरे 75 कुल रकबा 18.0065 हेक्टेयर में से वादीगण के कब्जेकाश्त की आराजी खसरा संख्या 232 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा संख्या 346 रकबा 0.0890 हैक्टेयर , खसरा सख्या 408 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 416 रकबा 2.1367 हैक्टेयर, खसरा संख्या 422 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 431 रकबा 0. 5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 435 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 436 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा सख्या 437 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा सख्या 439 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 443 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 448 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सख्या 456 रकबा 0.9227 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 1.5540 हैक्टेयर, खसरा सख्या 460 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा सख्या 462 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सख्या 464 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 839/1022 रकबा 0.0081 हैक्टेयर , खसरा संख्या 87 रकबा 0.1700 हैक्टेयर,खसरा संख्या 933 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सख्या 934 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 935 रकबा 0.6961 हैक्टेयर, खसरा संख्या 936 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल खसरे 27 रकबा 10.3926 हेक्टेयर वाके ग्राम अल्फानगर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक से वादीगण के खाते दर्ज रेकार्ड किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बीज............................ मुबलिक................................ बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह....................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई		रुपया	पैसे	मुदायलाह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा				स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात				स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत				महनताना वकील		
महनताना वकील				खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान				फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर				बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा				हुक्मनामा		
मुतफरिक				मुतफरिक		
मीजान						

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 12 माह 03 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा